अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
<u>कार्मिक (क–2) विभाग</u>

क्रमांकः– प. 7(2)कार्मिक / क–2 / 15 पार्ट– जयपुर, दिनांकः–17.05.2016

समस्त अति0 मुख्य सचिव / शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

विषयः– SBC वर्ग हेतु नोशनल रूप से आरक्षित रखे गये पदों / रिक्तियों की सूचना।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ 7(8)कार्मिक / क–2 / 2008 दिनांक 06.05.10 द्वारा राज्य के विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) हेतु राज्य के अधीन सेवाओं / पदों पर सीधी भर्तियों में 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे। इसी आदेश में इस वर्ग हेतु कुल रिक्तियों के 4 प्रतिशत पद नोशनल रूप से आरक्षित रखे जाने के निर्देश भी दिए गये थे। इसी संदर्भ में इस विभाग द्वारा आदेश क्रमशः दिनांक 07.06.10, 20.12.10 एवं 31.01.2011 भी जारी किए गये थे, जो कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06.05.2010 के पश्चात् आपके विभाग में जो भी सीधी भर्ती की गई, उनमें कार्मिक विभाग के उक्त आदेशों की पालना में कितनी रिक्तियां नोशनल रूप से आरक्षित रखी गई है, इसका विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

अतः कृपया आपके विभाग से संबंधित उक्तानुसार अपेक्षित सूचना निम्न प्रपत्र में 10 दिवस के भीतर अवश्यमेव प्रेषित करवाने का श्रम करावें।

<u>विभाग का नाम</u>

क्र.सं.	पदनाम	ग्रेड–पे	रिक्तियां विज्ञापित करने की दिनांक	विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	SBC हेतु 1 प्रतिशत अनुसार आरक्षित रिक्तियां	SBC हेतु 4 प्रतिशत अनुसार नोशनल रिक्तियां	भर्ती की वर्तमान स्थिति

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(ओ0पी0 गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव